211

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 24, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री गृह, सोमवती अमावस्या के अवसर पर नर्मदा नदी में नाव दुर्घटना दिनांक 29-5-95 का जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, लालचन्द मित्तल, सदस्य, उद्यानिकी संचालक द्वारा पौधों के क्रय में अनियमिततायें किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, सीहोर जिले के वन ग्राम लखिया के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के झोपड़े तोड़े जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री दिलीप भटेरे, गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में शिक्षकों के फर्जी स्थानांतरण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री निर्भय सिंह पटेल, सदस्य, इंदौर के प्रीमियर सहकारी बैंक के शाखा एजेंटों द्वारा कीटनाशक की अवैध बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य, भोपाल के एक मेडिकल स्टोर द्वारा घटिया दवाइयां बेचे जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री कैलाश चावला, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, नीमच शहर में आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मकड़ावन में एक परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम बेलगदा में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, अमर सिंह कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में बालकों के अपहरण की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले के अनेक क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों को चावल नहीं दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले की नागौद कृषि उपज मंडी में अनियमिततायें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर के खातीवाला टैंक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की भूमि पर धार्मिक स्थल का अवैध निर्माण होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, बीज निगम द्वारा घटिया बीज एवं कीटनाशक का प्रदाय करने के संबंध में गठित जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री पुष्पराज सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

(3) श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(4) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि प्रस्ताव

(1) श्री धनेश पटिला, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि मे आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए".

(2) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए".

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम बिलहरी में महाविद्यालय खोले जाने ; तथा
(ख) ग्राम घुघरा में खेल मैदान का निर्माण कराये जाने ;

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बरांव में -

(क) विद्युत व्यवस्था किये जाने ; तथा
(ख) आबादी निस्तार दर्ज कराये जाने ;

(3) श्री झल्लू लाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम सलवाह स्थित हाईस्कूल में शिक्षक पदस्थ किये जाने ;

(4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा-सिलवानी मार्ग का डामरीकरण कराने तथा तेंदोनी नदी पर पुल बनाये जाने ;

(5) श्री मुनिराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के हाफ नदी पर घोघरा डायवर्सन का निर्माण कराये जाने ; एवं

(6) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम खमरिया से गोइन्द्रा तक गिट्टीकृत सड़क बनाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, दिनांक 7 सितम्बर, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (कमांक 4103) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), दिनांक 1 मार्च, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (कमांक 2551) के उत्तर मे संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री खेल एवं युवक कल्याण, मध्यप्रदेश युवा नीति, 1995 पर वक्तव्य देंगे.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं निजी क्षेत्र मे विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर जारी श्वेत पत्र पर चर्चा.

9. अशासकीय संकल्प

2 घन्टे

(1) श्री रामेश्वर अखण्ड तथा श्री गोपाल परमार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन उज्जैन से झालावाड़ (व्हाया आगर) तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(2) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन भोपाल-राजकोट रेल को प्रसिद्ध तीर्थस्थल द्वारिका तक बढ़ाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(3) श्री रणजीत सिंह गुणवान तथा श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन सीहोर से इछावर, आष्टा, सोनकच्छ होते हुए देवास तक रेल लाइन बिछाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

212

(4) श्री रमाशंकर भारद्वाज तथा श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन ग्वालियर से श्योपुरकलां नैरोगेज रेल्वे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर सवाई माधोपुर तक जोड़ने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(5) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन रीवा-भोपाल के मध्य इटारसी-बीना मार्ग पर सीधी नई रेल चलाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(6) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन विश्रामपुर-अनूपपुर पैसेंजर को शहडोल तक चलाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन अजमेर-खण्डवा मीटरगेज रेल लाइन को अविलम्ब ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(8) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन तुलसी एक्सप्रेस को हरपालपुर (मध्यप्रदेश) में रोकने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

(9) श्री चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन बीना से मक्सी (व्हाया कुरवाई, सिरोंज, राजगढ़) तक रेल्वे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है".

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 14 सितम्बर, 1995 को राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 4350), तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 4864) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्रमांक 4130) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 23 नवम्बर, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 355) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 276) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बच्चन नायक, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(3) दिनांक 24 नवम्बर, 1995 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 53) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(4) दिनांक 31 अगस्त, 1995 को राज्यमंत्री ऊर्जा से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 340) एवं 13 (क्रमांक 341) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(5) दिनांक 29 नवम्बर, 1995 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 512) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री प्रभात कुमार पाण्डे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(6) दिनांक 12 दिसम्बर, 1995 को जेल मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्रमांक 3011) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(7) दिनांक 30 अगस्त, 1995 एवं 21 सितम्बर, 1995 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 2959) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक 2960) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(8) दिनांक 31 अगस्त, 1995 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 2721) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 1995